

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग  
भू-तल खाद्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर।

क्रमांक एफ 1(4) आ.प्र. एवं सआ/सामान्य/2013/10407-35 जयपुर, दिनांक 15-7-2013

अधिसूचना

जिला कलेक्टर्स से प्राप्त फसल खरीफ संवत् 2069 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के अजमेर, बांसवाड़ा बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, झुझुनूं, जोधपुर, चूरु, राजसमंद, पाली, जैसलमेर, सीकर जिलों के 8030 ग्रामों को अधिसूचना क्रमांक 287-345 दिनांक 4.1.2013, 3326-45 दिनांक 4.3.2013 एवं 3596-616 दिनांक 11.3.2013 से 15 जुलाई, 2013 तक की अवधि के लिए राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभावग्रस्त घोषित किया गया था।

बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरु, जैसलमेर जिलों में कम वर्षा होने एवं बाड़मेर जिले में हाल ही में हुई वर्षा के कारण उक्त जिलों में खरीफ फसल की बुवाई लक्ष्य की तुलना में काफी कम हुई है। अतः राहत गतिविधियों के संचालन की अवधि 31 जुलाई, 2013 तक बढ़ाई जाती है।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(कुलदीप रांका)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
2. निजी सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मन्त्री।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, सम्बन्धित जिला प्रभारी मंत्री, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज., जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन/ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
11. संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
13. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
14. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
15. संबंधित सम्भागीय आयुक्त, राज.।
16. संबंधित जिला कलेक्टर, राज0।
17. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
18. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
19. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
20. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
21. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाये।

  
15/7/2013  
संयुक्त शासन सचिव